

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :- शिवपाल जाट, आर.ए.एस.

प्रार्थीगण :-

बनाम

अप्रार्थीगण

1. भंवरीदेवी पत्नी छितरराम मेघवाल
2. नरेन्द्र पुत्र छितरराम मेघवाल
3. गिरधारीराम पुत्र छितरराम मेघवाल
4. मन्जूदेवी पुत्री छितरराम मेघवाल
5. राजूराम पुत्र छितरराम मेघवाल

तहसीलदा, परबतसर

प्रार्थना पत्र बाबत :- अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

मुकदमां नम्बर :- 2022/26

आदेश दिनांक :- 14.03.2022

आदेश

प्रार्थीगण की आरे से प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम अडाणी के खसरा नम्बर 152 रकबा 7.98 हैक्टर भूमि स्थित है। जिसमें प्रार्थीगण के पिता व पति का स्वर्गवास हो चुका है जो जाति से मेघवाल है लेकिन राजस्व रिकार्ड में कर्मचारियों की गलती से प्रार्थीगण के पिता व पति की जाति मेघवाल के स्थान पर रेगर दर्ज हो गई है। दस्तावेज एवं राजस्व रिकार्ड में नाम में भिन्नता होने से प्रार्थीगण को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिससे राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के पिता व पति की जाति रेगर के स्थान पर मेघवाल दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त करने का निवेदन किया है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर सम्बन्ध में अप्रार्थीगण एवं राजपैरोका तहसीलदार परबतसर ने इकबालिया जबाब / राजीनामा पेश कर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए प्रार्थीगण पिता की जाति दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जाता है तो अप्रार्थीगण / राजपैरोकार तहसीलदार परबतसर को कोई आपत्ति नहीं होना स्वीकार किया है। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र के साथ जमाबन्दी सम्वत 2073-76 की नकल पेश की है जिसके खाता संख्या 17 खसरा नम्बर 152 रकबा 7.98 हैक्टर भूमि में छीतरराम पुत्र रामूराम जाति रेगर दर्ज है जबकि अन्य खाता संख्या 49, 154, 65 की जमाबन्दी पेश की है जिसमें प्रार्थीगण के पिता व पति की जाति भांबी (मेघवाल) दर्ज रिकार्ड है। मृत्यु प्रामाण पत्र में भी जाति मेघवाल दर्ज रिकार्ड है। जिससे प्रार्थीगण के पिता व पति की जाति मेघवाल (भांबी) होना प्रतीत होता है। जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार परबतसर को आदेश दिया जाता है कि ग्राम अडाणी के खसरा नम्बर 152 रकबा 7.98 हैक्टर भूमि में दर्ज छीतरराम पुत्र रामूराम जाति रेगर के स्थान पर मेघवाल दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जाता है। तहरीर जारी हो।

01/03/22
(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)